फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

सांवरदान वनाम गुमानकवंर वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 19...../2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.03.2015	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत वकील श्री दशरथ सिंह राठौड़ ने पेश किया। वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीगण के पक्ष में, सुविधा का संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ग्राम ऐवाद के खेत खसरा नं. 77/1 रकवा 19.09 वीघा भूमि का आगामी आदेश तक विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.04.2015 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
9/4/15	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील एल एल कालवी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं 3 एवं 4 के सम्मन बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है जो गैर हाजिर रहे हैं। उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी सं. 2 का सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश की अवधि तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दिनांक 29/4/15 को पेश हो। पुनश्च उतना लिखने	मोहनपाल

तारिख हुक्म	अनवान सांवरदान बनाम गुमानकंवर हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 19/2015	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
20.06.18	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र सांडोली में पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 77/01 रकबा 19.09 बीघा मौजा खेवाड़ का विरासत से पूर्व वादी व प्रतिवादी सं. 01 व 02 को प्राप्त हुई है। उस के पश्चात अप्रार्थी प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 02 के हक में विवादित भूमि का हक त्याग कर दिया के हक में विवादित भूमि का हक त्याग कर दिया अप्रार्थी सं. 02 ने विवादित भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 02 ने विवादित भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी को बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं. 01 गुमानकंवर को बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं. 01 गुमानकंवर को बेचान प्रति- प्रार्थी के साथ विवादित भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 01 अर्थात अप्रार्थी सं. 01 को कर दिये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है जिस के कारण प्रार्थी विवादित भूमि को बेचान से रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है तथा वकील वादी भी यह जाहिर प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त स्थिति के अनुसार चलने योग्य नहीं है जिस के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। [signature]	